

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 201 / प्र०अ० - भवन / जौन-१ / 2013-14 दिनांक २९ / ०९ / २०१४

### अनुमति-पत्र

यह अनुमति उम्मीद नगर नियोजन तथा विकास आधिकारियम् 1973 को धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, छिन्नु अर्थ यह न रागझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर उपविश्वासन / पवित्रबद्ध आवास (Row Housing) मानचित्र रखीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय उपेक्षकीय या व्यक्ति अथवा एस ले भालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर नहेगा। अर्थात् यह अनुमति किसी ले मिलिक्यता या रखागित ले अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री गौतम चट्टर्जी मुख्यारेआम श्रीमती अनीता चौधरी पुत्री श्री कगलापाति चौधरी द्वारा पार्ट आफ आराजी संख्या-226, 217, 218 औरा-हरवारा परगना एवं तहसील-सदर, जिला इलाहाबाद जौन भंडा (1) के अन्तर्गत दाखिल प्रस्तावित उपविश्वासन / पवित्रबद्ध आवास टाईप डिजाइन मानचित्र की रखीकृति/निर्माण उपाधान महोदय के अनुगोदनादेश दिनांक 19.09.2014 के द्वारा निम्नान्वित प्रतिवर्णों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. स०प्र० नगर नियोजन एवं विकास आधिकारियम् 1973 की धारा 15ए (1) के प्राधिकारों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् हो राप्तोग/अधिकार प्रिया जैसा लंयेा गवन निर्माण एवं विकास उपविश्वास 2008 ने उपविश्वास संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रगाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्थीलूप्री अनुरितम (Provisional) स्थीलूप्री के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के ७५रात्, सभी आवश्वक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात् निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रगाण गत' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग गंलाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत गानचित्र सम्बन्धी नियमण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के पास का नाम भी लिखित है।
4. प्रत्येक इकाई पर ०१ वृक्ष लगाना होगा तथा तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने ला दायित्व आवेदक का होगा।
5. पालं एरिया (555.62 लैंगमीटर) को पूर्णतया उत्तर-भरा रखने का दायित्व भू-खागी/निर्माणकर्ता का होगा।
6. प्रासांगिक मानचित्र 23 आवासीय इकाईयों के निर्माण की अनुमति हेतु है। निर्मित इकाईयों में तल-वार विकास अथवा इकाईयों का उपविश्वासन पूर्णतया निरीक्षा होगा।
7. नगर आयुक्ता, नगर नियम इलाहाबाद की N.O.C पत्रांक : डॉ०/६६२/STCE/14 दिनांक 18.08.2014 (छायाप्राप्ति संलग्न) ने अंकित प्रतिवर्णों का पालन करना होगा।
8. रेन्डरिंग का लार्ड मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-खागी जल विभाग से अनापरित प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् जग एफ०डी०३।०० अवगुल्त किया जायेगा।
9. स्थल पर रनरता अन्तरिक्ष विकास लार्ड मानक के अनुसार पूर्ण कराकर पूर्णता प्रगाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् ही आन्तरिक विकास व्यव ले संपैश जामा देंक गारंटी अवगुल्त की जायेगी।
10. गाननीय न्यायालय में कोई बाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्थीलूप्री माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। वह रखीकृति भू-खागित का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्टामिल सम्बन्धी कोई भी विवाद सैन्य न्याय/प्राधिकारी द्वारा ही निर्दलाया किया जा सकता है।

Continued

२०१०-८-२५  
विवाद संदर्भ संख्या १०१८९  
९३०६७७७१५९९





